# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 28/2019 अपील (GCMS/2019/00037)
पंजीयन दिनांक - 26.06.2019
निर्णय दिनांक - 16.02.2021

1. श्री कन्हैयालाल पिता श्री घनश्याम चौबीसा, निवासी मदार तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।
2. श्री चन्द्रशेखर पिता श्री घनश्याम चौबीसा, निवासी मदार तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।
3. श्री ओमप्रकाश पिता श्री घनश्याम चौबीसा, निवासी मदार तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।
4. श्री भगवतीलाल पिता श्री घनश्याम चौबीसा, निवासी मदार तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती लीला देवी पिता श्री घनश्याम चौबीसा, निवासी मदार तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल चौबीसा, निवासी मदार तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।

**-अपीलार्थी**

**बनाम**

1. श्री हरिशंकर पिता श्री भंवरलाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
2. श्री पन्नालाल पिता श्री भंवरलाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
3. श्री कन्हैयालाल पिता श्री भंवरलाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
4. श्री अनिल पिता श्री भंवरलाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
5. श्री सोसर पिता श्री भंवरलाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती तारा पिता श्री भंवरलाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
7. श्री देवीप्रसाद पिता श्री गोकुललाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
8. श्री रामेश्वरलाल पिता श्री गोकुललाल चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
9. श्री गोकुललाल पिता श्री चतुरभूज चौबीसा, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर।

**-प्रत्यर्थी**

उपस्थितिः-

1. श्री खेमराज डांगी - वकील अपीलार्थी
2. श्री नरेश जणवा - वकील प्रत्यर्थी-1 से 9

प्रकरण संख्या-25/2016, में श्री हरिशंकर व अन्य बनाम श्री कन्हैयालाल व अन्य में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक 16.02.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-25/2016, में श्री हरिशंकर व अन्य बनाम श्री कन्हैयालाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान प्रकरण के प्रत्यर्थी संख्या-1 से 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम मदार, पटवार हल्का गुडली में कृषि भूमि आराजी संख्या-3417, 3418, 3424, 3442, 3422, 3431, 3433 किता 7 रकबा 0.4300 हैक्टर भूमि स्थित है। आराजी संख्या-3417, 3418, 3424 व 3442 में प्रार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) संख्या-1 से 6 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) संख्या-9 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में बहैसियत दर्ज है तथा आराजी संख्या-3422 सम्पूर्ण प्रार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) संख्या-3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा आराजी संख्या-3431 व 3433 में प्रार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) संख्या-3 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) संख्या-7 व 8 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार है। उनकी उक्त भूमि से लगी हुई पडौस में विपक्षीगण (वर्तमान अपीलार्थी) संख्या 1 से 6 की जमाबंदी 2072 से 2075 आराजी संख्या-3423 रकबा 0.0100, 3416 रकबा 0.0300, 3419 रकबा 0.0050, 3432 रकबा 0.0350, 3458 रकबा 0.0450, 3420 रकबा 0.0050, 3421 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। पक्षकारों की उपरोक्त आराजीयात की सीमांए एक दुसरे से लगी हुई है, सीमा चिन्ह नहीं होने से विवाद होते रहते है ऐसे में मौके पर पत्थरगढ़ी आवश्यक है। विपक्षीगण (वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा सीमा जानकारी कराने से मना करने पर प्रार्थना पत्र धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया है।

- अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 28.02.2019 पारित किया और तहसीलदार, बड़गावं को कमिशनर नियुक्त करते हुए आदेश दिया कि उभय पक्ष की उपस्थिति में नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम मदार, पटवार हल्का मदार तहसील बड़गावं अनुसार आराजी संख्या-3417, 3418, 3424,

3422, 3431, 3433 किता 7 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि के सीमांकन की जानकारी करा पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करावें।

अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 26.06.2019 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं वकील प्रत्यर्थी-1 से 9 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.02.2021 को सुनी गई।

**विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि धारा-128 का आदेश पारित करने से पूर्व धारा-111 एलआर एक्ट के तहत सीमाओं से सम्बन्धित विवाद का निपटारा सम्बन्धित नक्शे व कब्जे के आधार पर तय किया जाता व उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाता लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहकर कि सभी सहखातेदार पत्थरगढ़ी करवाने में सहमत है कथित निर्णय पारित किया जो गलत है, सभी सहखातेदार सहमत नहीं है, न ही ऐसी कोई सहमति रेकर्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कुछ विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में उनके ही न्यायालय में लम्बित वाद एवं निषेद्याज्ञा के वाद के बारे में अवगत कराया परन्तु इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया। भूमियों के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय समक्ष दिनांक 10.09.2019 को उपस्थित नहीं हुआ फिर भी उपस्थिति इन्द्राज कर आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। जिसकी जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पृथक से संलग्न किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत (1985 आरआरडी 170, 2006 आरबीजे 366, 2006 आरआरटी 474, 1999 आरआरक्यू 148, 2009 (2) आरआरटी 816) प्रस्तुत किये है।

**विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 9 ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है जो इसी स्तर पर खारिज योग्य है। बताये गये कारण असंतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है, निराधार है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित हुआ है जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की बहस का अंकन

भी निर्णय में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पूर्ण जांच कर निर्णय पारित किया है, ऐसे विधिसंगत निर्णय को यथावत रखा जाना आवश्यक है।ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

**हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आलौच्य निर्णय दिनांक 28.02.2019 से सम्बन्धित पत्रावली के परिक्षण से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित हुए, जिसका अंकन फर्द अहकाम पर किया गया है और बकुलाय पक्षकारान उपस्थित होकर उभय पक्षों की बहस सुने जाने का अंकन किया गया है। साथ ही आलौच्य निर्णय में बहस में वर्णित कथनों का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आलौच्य निर्णय की आरम्भ से ही जानकारी थी। आलौच्य निर्णय से अपीलार्थी को ससमय जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है एवं खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूॅ कि अपीलार्थी द्वारा हाजा न्यायालय समक्ष असत्य, मनगढ़त, अविश्वसनीय एवं बनावटी कारण अंकित करते हुए देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र मय असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हस्तगत प्रकरण में हम न्यायहित में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में पक्षकारों की सहमति उपरान्त सीमा जानकारी करा पत्थरगढ़ी कराने का आदेश दिये जाने का अंकन है। जब पक्षकारों द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान की गई जो वह विबंन्धन के सिद्धान्त से बाधित है। प्रश्नगत अपील में अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। न ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष पक्षकारान द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पुरी तरह गौर किया एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( विकास सीतारामजी भाले )
संभागीय आयुक्त, उदयपुर